वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2019

CSERC

छत्तीसगढ़ राज्य
विद्युत नियामक आयोग

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

CSERC

छत्तीसगढ़ राज्य
विद्युत नियामक आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2019

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019

विषय–सूची

खण्ड क्र.	शीर्षक		पृष्ठ क्र.
1.	प्रस्तावना	:	1–4
2.	मानव संसाधन एवं उनका विकास	:	5–8
3.	आयोग के कृत्य, कार्यवाहियाँ, शक्तियाँ एवं उसकी कार्यप्रणाली	:	8–11
4.	राज्य सलाहकार समिति	:	12–12
5.	वर्ष 2019 में आयोग द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों का विवरण	:	13–19
	परिशिष्ट–1	:	20–20

खण्ड–1
प्रस्तावना

1.1 उद्देशिका (मिशन स्टेटमेंट)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलेटरी कमीशंस एक्ट 1998 एवं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अनुसरण में किया गया है। आयोग उक्त अधिनियम तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं टैरिफ नीति में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप कार्य सम्पादित करता है। आयोग का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि विद्युत, जो कि विकास का एक अति महत्वपूर्ण घटक है, वाणिज्यिक नीति पर आधारित होते हुए भी ऐसे मूल्य पर उपलब्ध हो जो जन–साधारण की पहुँच में हो। आयोग राज्य में विद्युत के क्षेत्र में सुधार हेतु ऐसे दिशा–निर्देश एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है जिनसे दक्षता, मितव्ययिता, प्रतिस्पर्धा का संवर्धन हो एवं उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त हो। अपने कार्य को संपन्न करने हेतु आयोग इस विषय से संबंधित समस्त व्यक्तियों विशेषतः उपभोक्ताओं की भागीदारी प्राप्त करने के प्रति सदा–सर्वदा सजग है। आयोग, राज्य में ऐसे विनियमित परिवेश की स्थापना करने हेतु प्रयत्नशील है जिससे प्रदेश में विद्यमान ताप–विद्युत, जल–विद्युत, विद्युत के नवीन तथा अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों की प्रचुर संभावनाओं का समुचित दोहन करने के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिले। साथ ही साथ राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को सतत् एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति न्यूनतम दरों पर सुनिश्चित की जा सके।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 में आयोग को सौंपे गये, विभिन्न कार्यो का निर्वहन करने के अनुक्रम में वर्ष 2019 में भी आयोग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विनियम बनाए गए तथा याचिकाओं का निराकरण किया गया। प्रतिवेदित वर्ष (2019) में आयोग द्वारा किये गए उपरोक्त कार्यों तथा अन्य कार्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रतिवेदन में उल्लेखित है।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 105 में उपबंधित किया गया है कि राज्य आयोग प्रतिवर्ष एक बार ऐसे प्रारूप तथा ऐसे समय जो विहित किया जावे, पिछले वर्ष की अपनी गतितिधियों के सारांश के साथ, एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर उसकी प्रतियां राज्य शासन को अग्रेषित करेगा। तदनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन) नियम 2005 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में आयोग की गतिविधियों का विवरण आगामी वर्ष में, आयोग द्वारा तैयार कर, राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है। वार्षिक प्रतिवेदन राज्य शासन द्वारा विधान–सभा के पटल पर रखे जाते हैं। इस प्रतिवेदन में, आयोग के वर्ष 2019 के क्रिया कलापो का संक्षिप्त विवरण, समाहित किया गया है।

1.2 आयोग की स्थापना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलेटरी कमीशंस एक्ट 1998 एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा

82 में निहित प्रावधानों के अधीन अधिसूचना क्रमाँक 3190/S/E/2002 दिनाँक 23/08/2002 सहपठित, अधिसूचना क्रमाँक 432/R/352 दिनाँक 11/05/2004 के द्वारा किया गया था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 14697, 13451 सन् 2015 स्टेट ऑफ गुजरात एण्ड अदर्स वर्सेस यूटिलिटि यूजर्स वेलफेयर एसोसियेशन एण्ड अदर्स में जारी निर्देशों के पैरा 114 में दिये गये निर्देश के अनुपालन हेतु यह आवश्यक हो गया है कि विद्युत नियामक आयोग में एक सदस्य विधि का जानकार व्यक्ति होना चाहिये।

अतएव, राज्य शासन द्वारा पूर्व में इस संबंध में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अग्रिम वर्णित सीमा तक संशोधित करते हुए, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त सिविल अपील में दिनांक 12/04/2018 को जारी निर्देशों के अनुपालन में, अधिनियम की धारा 82 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 1825/एफ 1–2/2018/13/1/ऊ.वि. दिनांक 30/06/2018, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का पुनर्गठन किया गया, जिसके अनुसार अब आयोग में अध्यक्ष को शामिल करते हुए तीन सदस्य होंगे, इन तीन सदस्यों में से एक सदस्य विधि के जानकार व्यक्ति को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। उक्त पुनर्गठन अधिसूचना के तारतम्य में राज्य शासन द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद पर निम्नानुसार नियुक्ति की गईः–

क्र.	नाम	पद नाम	अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक
1.	श्री डी.एस. मिश्र	अध्यक्ष	एफ–1–7/2007/13/1 दिनांक 18/09/2018
2.	श्री अरूण कुमार शर्मा	सदस्य	1239/एफ 1–7/2007/13/1 दिनांक 22/10/2016
3.	श्री विनोद देशमुख	सदस्य (न्यायिक)	एफ–1–7/2007/13/1 दिनांक 18/09/2018

वर्तमान में श्री डी.एस. मिश्र अध्यक्ष एवं श्री अरूण कुमार शर्मा व श्री विनोद देशमुख सदस्य के पद पर पदस्थ हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार हैः–

श्री डी.एस. मिश्र, अध्यक्ष

श्री डी.एस. मिश्र ने 18 सितंबर 2018 को आयोग में अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। श्री मिश्र ने बी.ए. (आनर्स गोल्ड मेडलिस्ट) की उपाधि प्राप्त की। भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1982 बैच के मध्यप्रदेश कैडर के अधिकारी, श्री डी.एस. मिश्र को मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ शासन में कई महत्वपूर्ण कार्यभार प्रदान किये गए। अपने 36 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में आपने मध्यप्रदेश के साथ–साथ छत्तीसगढ़ शासन में भी महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया।

श्री अरूण कुमार शर्मा, सदस्य

छत्तीसगढ़ के मूल निवासी श्री अरूण कुमार शर्मा ने शासकीय अभियान्त्रिकी एवं तकनीकी महाविद्यालय, रायपुर से वर्ष 1977 में मैकेनिकल अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत भारत के सर्वोत्तम ऊर्जा संस्थान एन.टी.पी.सी. लिमिटेड में कार्यपालक प्रशिक्षु के रूप में अपनी व्यावसायिक जीवन प्रारंभ की एवं पदोन्नति प्राप्त करते हुए कार्यकारी निदेशक के पद पर पहुंचे। इस अवधि में उन्हें ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं से अवगत होने का अवसर मिला।

एन.टी.पी.सी. में अभियंता से लेकर कार्यकारी निदेशक के रूप में प्रबंधन में भागीदारी निभाते हुए उन्होंने प्रारंभ के लगभग 9 वर्ष बदरपुर थर्मल पॉवर संयंत्र में प्रचालन एवं अनुरक्षण विभाग में कार्य किया। तत्पश्चात् उन्हें 23 वर्ष नैगम आयोजना (Corporate Planning) अनुभाग में कार्यरत रहते हुए शीर्ष प्रबंधन के साथ मिलकर निगम के प्रबंधन में रणनीतिक स्तर (Strategic level) पर कार्य करने का बहुमूल्य अवसर एवं अनुभव प्राप्त हुआ। इस कार्यावधि में विभिन्न स्टेक होल्डर्स जैसे कि संसदीय समितियां, संबद्ध मंत्रालय, प्रशासनिक संस्थानों (सीईए, योजना आयोग इत्यादि) एवं वित्तीय संस्थानों जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमैंट बैंक आदि के साथ अति निकटता से कार्य करने का भी अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ।

अंतिम 6 वर्षों में वे एन.टी.पी.सी. की परामर्श सेवाओं के प्रभारी के रूप में विभिन्न ऊर्जा संस्थानों में प्रचालन, अनुरक्षण, इन्जीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन इत्यादि क्षेत्रों में सेवाएं दे कर उनके प्रबंधन एवं दक्षता में सुधार के लिए निरंतर कार्यरत रहे। अपने 38 वर्षो के कार्य काल को पूरा कर वे जून 2016 में एन.टी.पी.सी. से कार्यकारी निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुये। दिनांक 29 अक्टूबर 2016 से श्री शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में सदस्य के पद पर पदस्थ है।

श्री विनोद देशमुख, सदस्य (न्यायिक):—

श्री विनोद देशमुख, का जन्म 07 मार्च 1961 को रायपुर शहर में हुआ है और सम्पूर्ण शिक्षा रायपुर में की हैं। उनके द्वारा बी.कॉम., एल.एल.बी. की डिग्री पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से प्राप्त करने के उपरान्त वर्ष 1987 से रायपुर जिला अदालत एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में भी वकालत की है। इस दौरान उनके द्वारा कई संस्थानों की पैरवी भी की है। श्री देशमुख दिनांक 18 सितम्बर 2018 से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में न्यायिक सदस्य के पद पर पदस्थ हैं।

1.3 आयोग का कार्यालय

आयोग का कार्यालय सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर में स्थित है। कार्यालय के भवन निर्माण का कार्य छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा किया गया है। आयोग के भवन के निर्माण में सी.डी.एम. (क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म) के सिद्धांत को अपनाया गया है। भवन में क्रेडा के माध्यम से 80 किलोवॉट क्षमता के सौर—ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। इससे उत्पादित विद्युत, कार्यालयीन आवश्यकताओं हेतु उपयोग में लाई जाती है तथा अतिशेष विद्युत ग्रिड में डाली जाती है।

आयोग कार्यालय भवन जो ऊर्जा दक्ष एवं सोलर पैसिव टेक्नोलॉजी के आधार पर निर्मित है को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी.ई.ई.), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा ऊर्जा दक्षता की दृष्टि से पांच सितारा रेटेड भवन घोषित किया है। यह भवन राज्य का ऐसा प्रथम भवन है जिसे बी.ई.ई. द्वारा पांच सितारा रेटिंग दी गई है।

यह भवन 2400 वर्ग मीटर प्लॉट पर निर्मित है, इसमें 03 तल हैं, कुल निर्मित क्षेत्रफल 2072 वर्ग मीटर है।

————00000————

खण्ड–2
मानव संसाधन एवं उनका विकास

2.1 आयोग का संगठनात्मक चार्ट :–

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 91 के अंतर्गत राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त कर आयोग के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से आयोग में विभिन्न पदों का सृजन किया गया। वर्तमान में आयोग हेतु कुल 68 पद स्वीकृत हैं जिसमें 15 प्रथम श्रेणी, 8 द्वितीय श्रेणी, 33 तृतीय श्रेणी एवं 12 चतुर्थ श्रेणी के पद हैं। स्वीकृत पद संरचना परिशिष्ठ क्र 1 में उल्लेखित है।

2.2 आयोग में वर्ष 2019 में सेवारत् अधिकारी :–

सृजित पदों को भरने के उद्देश्य से आयोग में अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति तथा संविदा नियुक्ति द्वारा की गई। वर्ष 2019 में आयोग में निम्नलिखित अधिकारी सेवारत रहे :–

क्रमाँक	नाम	वर्तमान पद	नियुक्ति दिनाँक
1.	श्री एस.पी. शुक्ला	निदेशक (इंजीनियरिंग) सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 06.09.2018 से	21.10.2004
2.	श्री विवेक गनोदवाले	वरिष्ठ विधि अधिकारी	10.12.2004
3.	श्री सुरोबिन राय	वित्तीय विश्लेषक	06.10.2009
4.	श्री सुरेन्द्र सिंह	संयुक्त निदेशक (टैरिफ)	11.08.2010
5.	श्री कमलेश दिल्लीवार	संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग)	11.08.2010
6.	श्रीमती आशा व्ही. देव	उप–सचिव	23.06.2014 प्रतिनियुक्ति पर
7.	श्री सिद्धार्थ पाण्डे	उप निदेशक (इंजीनियरिंग)	01.04.2017 प्रतिनियुक्ति पर
8.	श्री पी. वेणु गोपाल	लेखाअधिकारी	02.09.2010

आयोग के अधिकारियों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार हैं:–

1. **श्री एस.पी. शुक्ला, निदेशक (इंजीनियरिंग)**:– शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर से बी. ई. (मेकेनिकल) की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत श्री शुक्ला ने 11 वर्षों तक विद्युत संयंत्रों के कमीशनिंग, प्रचालन, अनुरक्षण, ताप–विद्युत संयंत्रों के नवीनीकरण व आधुनिकीकरण का कार्य किया। दिनांक 21/10/2004 से आयोग में उप निदेशक (इंजी.) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात क्रमशः दिनांक 29/10/2009 को संयुक्त निदेशक (इंजी.) एवं दिनांक 01/10/2014 को निदेशक (इंजी.) के पद पर पदोन्नत हुए। आयोग में आप दिनांक 06/09/2018 से सचिव का अतिरिक्त प्रभार वहन कर रहे हैं।

2. **श्री विवेक गनोदवाले, वरिष्ठ विधि अधिकारी** :– बी. कॉम, एल.एल.बी., की उपाधि ग्रहण करने के पश्चात् आप मई 1988 से मुख्यतः जिला न्यायालय रायपुर में सफल अभिभाषक रहे। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम तथा औद्योगिक न्यायालयों हेतु गठित अधिवक्ताओं के पैनल व रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिवक्ताओं के पैनल में भी रह चुके हैं। आप वर्ष 1997 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन गठित विशेष न्यायालय हेतु मध्यप्रदेश शासन की ओर से अभियोजन हेतु विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किये गये। छत्तीसगढ़ शासन ने जुलाई 2004 में आपको इसी विशेष न्यायालय हेतु विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया था। आयोग में पद भार ग्रहण करने के पूर्व तक आप विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्यरत् रहे। दिनांक 10/12/2004 से आयोग में विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत् हैं। दिनांक 27/06/2013 को वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर पदोन्नत हुए।

3. **श्री सुरोबीन राय, वित्तीय विश्लेषक–** आपने बी.एस.सी. (गणित), एफ.आई.सी.डब्लू.ए. की उपाधि प्राप्त की है। आपको लागत लेखांकन एवं प्रबंधन, लेखांकन, बजट, लेखा–संपरीक्षण, वित्त एवं कोषालय प्रबंधन, करारोपण, वित्तीय विश्लेषण के क्षेत्र में आयोग की सेवा में आने के पूर्व 18 वर्ष का अनुभव था। श्री राय आयोग में वित्तीय विश्लेषक के रूप में दिनांक 06/10/2009 से कार्यरत् हैं।

4. **श्री सुरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक (टैरिफ):–** शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर से बी.ई. (इलेक्ट्रिकल) की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् आपने लगभग 1 वर्ष आटोमोबाईल उद्योग तथा लगभग 12 वर्ष तक जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कार्य किया। दिनांक 11/08/2010 से आयोग में उप निदेशक (टैरिफ) के पद पर कार्यरत् रहते हुए दिनांक 11/08/2015 को संयुक्त निदेशक (टैरिफ) के पद पर पदोन्नत हुए हैं।

5. **श्री कमलेश दिल्लीवार, संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग):–** 1995 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत पॉवर प्लांट एवं कंसलटेंसी संस्थाओं में लगभग 3 वर्ष कार्य करने के बाद सन् 2000 में ऊर्जा प्रबंधन में स्नाकोत्तर उपाधि प्राप्त की। ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न कंसलटेंसी संगठनों में रहते हुए उन्होंने विदेशों में भी (मध्यपूर्व, सुदूरपूर्व एवं अफ्रीकी राष्ट्रों में भी) अपनी सेवाएं दी। पिछले दस वर्षों में उन्होंने विद्युत अधिनियम 2003 एवं ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में सक्रिय रूप से कार्य करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विभिन्न विद्युत मण्डलों, कंपनियों एवं विभिन्न राज्यों के नियामक आयोगों, निजी क्षेत्र के उद्योगों, आदि में कंसलटेंसी प्रदान की। श्री दिल्लीवार ने BEE (MoP) से ऊर्जा संपरीक्षक का प्रमाण पत्र भी 2004 में प्राप्त किया है। दिनांक 11/08/2010 से आयोग में उप निदेशक (इंजी.) के पद पर कार्यरत् रहते हुए दिनांक 11/08/2015 को संयुक्त निदेशक (इंजी.) के पद पर पदोन्नत हुए हैं।

6. **श्रीमति आशा व्ही. देव, उप सचिवः—** केरल युनिवर्सिटी से बी.टेक (इलेक्ट्रीकल) की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् श्रीमती आशा द्वारा वर्ष 1998 में केरल स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड (केएसईबी.) में सहायक अभियंता के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की। इस दौरान आपने केरल लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई एक्ट, इलेक्ट्रीसिटी एक्ट एंड रूल्स, स्टोर एकाउंट्स व टैरिफ एंड रेव्हेन्यु एकाउंटिंग रूल्स, केरला फाईनेंसियल कोड एवं केरला बजट मैनुअल एवं पी.डब्ल्यू. एकाउंट कोड की विभिन्न परीक्षाएं उत्तीर्ण की साथ ही आपको विद्युत उपयोगिता पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव है। वर्ष 2006 में छ.ग.रा.वि.वि.कं.मर्या. रायपुर में प्रतिनियुक्ति पर सहायक अभियंता एवं वर्ष 2010 में कार्यपालन अभियंता रहीं। जून 2012 में पुनः केएसईबी. में सहायक कार्यपालन अभियंता के पद पर सेवाएं दी। वर्तमान में आप दिनांक 23/06/2014 से प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में उप सचिव के पद पर कार्यरत् हैं।

7. **श्री सिद्धार्थ पाण्डे, उप निदेशक (इंजीनियरिंग):—** सन् 2007 में रूंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, भिलाई से बी.ई. (मेकेनिकल) की उपाधि तथा वर्ष 2009 में दिशा इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, रायपुर से एम.बी.ए. (मार्केटिंग एण्ड फॉयनेंस) की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् भिलाई इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, उरला, रायपुर में एक्जीक्यूटीव इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल के पद पर सितम्बर—2013 तक अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात् अक्टूबर—2013 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्या. कोरबा (पश्चिम) में सहायक अभियंता के पद पर अपनी सेवाएं प्रारंभ की। श्री पाण्डेय वर्तमान में दिनांक 01/04/2017 से आयोग में उप निदेशक (इंजीनियरिंग) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं।

8. **श्री पी. वेणु गोपाल, लेखाअधिकारीः—** आपने एम.कॉम., एल.एल.बी., आई.सी.डब्लू.ए. आई. (इंटर) की उपाधि प्राप्त की है। आपको विभिन्न संस्थानों में लागत लेखांकन एवं प्रबंधन, लेखांकन, बजट, लेखा—संपरीक्षण, वित्त प्रबंधन, करारोपण, का कार्यानुभव है। दिनांक 02/09/2010 से आयोग में कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत् रहते हुए दिनांक 02/11/2016 को लेखाअधिकारी के पद पर पदोन्नत हुए हैं।

2.3 आयोग के अधिकारियों की कार्यकुशलता के विकास हेतु प्रशिक्षण/ कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन कार्यक्रमः—

विगत वर्षों की भांति वर्ष 2019 में भी आयोग द्वारा अपने अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्थानों में विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजा गया, जिससे उनकी कार्यकुशलता में आधुनिकतम — आवश्यकतानुरूप अभिवृद्धि हो सके।

विवरण

क्र.	अधिकारी का नाम	प्रशिक्षण / कार्यशाला / संगोष्ठी / सम्मेलन कार्यक्रम का नाम / विषय	प्रशिक्षण / कार्यशाला / कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था का नाम व स्थान	अवधि
1	श्री पी.वेणु गोपाल लेखाधिकारी	वित्तीय प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर	5 दिन, (04 से 08 फरवरी 2019)
2.	श्री सुरेन्द्र सिंह संयुक्त निदेशक (टैरिफ)	इन्फ्रास्ट्रचर रेग्यूलेशन एण्ड रिर्फाम	साउथ एशिया फोरम ऑफ इन्फ्रास्ट्रचर रेग्यूलेशन (SAFIR) स्थान –आई.टी.एम., मनसर, हरियाणा	4 दिन (05 से 08 अप्रैल 2019)
3.	श्री कमलेश दिल्लीवार, संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग)	केपेसिटी बिल्डिंग ऑफ डिस्कॉम	ब्यूरो ऑफ, इनर्जी एफीसियंसी चंडीगढ़	1 दिन (20 सितम्बर 2019)

खण्ड–3

आयोग के कृत्य, कार्यवाहियां, शक्तियां एवं उसकी कार्यप्रणाली

3.1 **आयोग के कृत्य** – (1) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करता है :–

(i) राज्य के भीतर विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और संचरण (व्हीलिंग) के लिये टैरिफ का निर्धारण।

(ii) वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा राज्य में प्रदाय के लिये जिस दर से विद्युत का क्रय किसी उत्पादक कंपनी, अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ट्रेडर, अथवा अन्य स्त्रोतों से किया जाना है, उस प्रक्रिया का एवं दर का विनियमन करना।

(iii) राज्य के भीतर विद्युत के पारेषण तथा संचरण को सुगम बनाने के लिये आवश्यक उपाय करना।

(iv) राज्य में पारेषण, वितरण और विद्युत व्यापार (ट्रेडिंग) के लिये अनुज्ञप्ति प्रदाय करना।

(v) विद्युत के सह उत्पादन एवं नवीकरणीय स्रोतो से उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रिड से संयोज्यता के समुचित उपाय विनिर्दिष्ट करना तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारक को उसके क्षेत्र में खपत का एक प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्रय हेतु निर्धारित करना।

(vi) अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादन कम्पनियों के बीच विवादों का निराकरण करना और माध्यस्थम के लिये किसी विवाद को निर्दिष्ट करना।

(vii) अधिनियम के उद्देश्यों हेतु शुल्क नियत करना।

(viii) धारा 79 के अधीन विनिर्दिष्ट केन्द्रीय ग्रिड कोड से सुसंगत राज्य ग्रिड कोड का विनियमन।

(ix) लायसेन्सी के द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विश्वसनीयता के बारे में मानकों का निर्धारण करना तथा प्रभावशील करना ।

(x) यदि आवश्यक समझा जाए तो राज्य के भीतर विद्युत के व्यापार में ट्रेडिंग मार्जिन तय करना ।

(xi) अधिनियम के अधीन ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो आयोग को सौंपे जाए।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त आयोग राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 86(2) के अंतर्गत निम्नलिखित मामलों पर परामर्श दे सकता हैः–

(i) विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययिता को प्रोत्साहन देना;

(ii) विद्युत उद्योग में पूँजी निवेश को प्रोत्साहन देना;

(iii) राज्य में विद्युत मण्डल का पुनर्गठन और पुनः संरचना एवं

(iv) विद्युत उत्पादन, पारेषण वितरण और व्यापार सम्बन्धी मामले या कोई अन्य मामला जो शासन द्वारा राज्य आयोग को विनिर्दिष्ट किया गया हो ।

अधिनियम में आयोग को अपनी शक्तियों के प्रयोग में तथा कार्य के निर्वहन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश है।

आयोग अपने कार्य के निर्वहन में राष्ट्रीय विद्युत नीति, और विद्युत अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रकाशित टैरिफ नीति से मार्गदर्शन लेता है।

3.2 आयोग की कार्यप्रणाली

आयोग की कार्यप्रणाली अर्धन्यायिक प्रकृति की है। आयोग को अपने कार्य के निष्पादन करने के संबंध में विनियम बनाने का भी अधिकार है। इस हेतु वर्तमान में ''कार्य संचालन विनियम 2009'' प्रभावी है। इस विनियम में आयोग की कार्य प्रणाली विस्तृत रूप में दी गई है। इसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैः–

- कोई भी व्यक्ति आयोग के समक्ष निर्धारित रीति से आवेदन/याचिका प्रस्तुत कर सकता है ।
- याचिका शुल्क अनुज्ञप्तिधारी या किसी कंपनी या व्यक्ति के मामले में प्रकरण की विषयवस्तु के अनुसार अलग–अलग निर्धारित हैं ।
- प्रत्येक व्यक्ति, जिसे जाँच या याचिका के बारे में सूचना–पत्र जारी किया गया है, वह अपना उत्तर समस्त प्रतिलिपियों सहित निर्धारित समय–सीमा में आयोग के सामने प्रस्तुत करेगा, ताकि मामले की सही जाँच समुचित रूप से की जा सके ।
- आयोग के सामने संबंधित व्यक्ति उपस्थित हो सकेगा या कार्यवाही एवं पैरवी करने हेतु अधिकृत व्यक्ति नियुक्त कर सकता है ।

- आयोग निर्धारित मामले की सुनवाई आवेदन के क्रमानुसार निश्चित स्थान, दिनाँक व समय निर्धारण कर अधिनियम के तहत् निराकरण करेगा।
- आयोग किसी भी कार्यवाही, सुनवाई या किसी मामले के दौरान कोई भी अंतरिम आदेश, जो वह उचित समझे, जारी कर सकता है।
- आयोग अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विवादों का हल, विवाद के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर शुरू कर सकेगा तथा प्रकरण माध्यस्थम को निर्दिष्ट कर सकेगा।
- आयोग आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिये जाँच, अनुसंधान, प्रवेश, खोज एवं जब्ती के आदेश कर सकेगा ।
- यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी, अनुज्ञप्ति के किसी नियम, शर्त या अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो आयोग विद्युत अधिनियम की धारा 128 के तहत् उनके विरूद्ध लिखित आदेश देकर उसके काम–काज की जाँच करा सकता है ।
- यदि आयोग के किसी नियम–कानून का उल्लंघन होता है तो वह पक्षकार की शिकायत के आधार पर प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करवाने की कार्यवाही कर सकता है।
- इसके साथ प्रतिवादी निर्धारित तिथि में सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो आयोग ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में अपने अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। नियम/कानून या प्रावधानों को लागू करने में आयोग यदि कोई कठिनाई महसूस करता है तो वह सामान्य या विशेष आदेश उस कठिनाई को दूर करने के लिए जारी कर सकता है ,जो विद्युत अधिनियम के सम्मत हो।
- उपर्युक्त मामलों में उपभोक्ताओं के पक्ष में प्रस्तुत करने के लिए किसी भी व्यक्ति को आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है।

3.3 आयोग की शक्तियाँ

(1) विद्युत अधिनियम की धारा 94 के अनुसार आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी जाँच या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये वही शक्तियाँ प्राप्त है, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (5/1908) के अधीन निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में निहित की गई हैं, नामतः–

(i) किसी व्यक्ति की उपस्थिति हासिल करने के लिये समन करना और उसका शपथ पर परीक्षण करना;

(ii) किसी (विलेख) दस्तावेज/साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने योग्य अन्य संदर्भित सामग्री की खोज और उसकी प्रस्तुति के लिये या;

(iii) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना/ग्रहण करना;

(iv) किसी लोक अभिलेख को तलब करना ।

(v) साक्षियों के परीक्षण के लिये निर्देश जारी करना;

(vi) अपने विनिश्चयों, निर्देशों और आदेशों का पुनर्विलोकन करना;

(vii) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाये।

(2) आयोग को किसी कार्यवाही में, सुनवाई करते समय या कोई मामला जो आयोग के समक्ष हो और जैसा आयोग समुचित समझे ऐसा अन्तरिम आदेश पारित करने की शक्तियाँ है।

(3) आयोग, उपभोक्ताओं के हित का अपने समक्ष कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

3.4 आयोग के समक्ष कार्यवाहियाँ

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 95 के अनुसार समस्त कार्यवाहियाँ आयोग के समक्ष भारतीय दण्ड संहिता (45/1860) की धारा 193 तथा 228 के आशयों के भीतर न्यायिक कार्यवाहियाँ समझी जाएगी और आयोग दण्ड प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1973 (2/1974)) की धारा 345 तथा 346 के प्रयोजनों के लिये सिविल कोर्ट समझा जायेगा ।

———00000———

खण्ड–4
राज्य सलाहकार समिति

4.1 राज्य सलाहकार समिति

विद्युत अधिनियम की धारा 88 में राज्य सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान है। राज्य सलाहकार समिति निम्नलिखित विषयों पर आयोग को परामर्श दे सकेगीः–

(1) मुख्य नीतिगत मुद्दों पर;

(2) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता एवं विस्तार से संबंधित विषयों पर;

(3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति की शर्तो एवं अपेक्षाओं के अनुपालन पर;

(4) उपभोक्ता हित संरक्षण पर; एवं

(5) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय एवं कार्य निष्पादन के मानकों पर।

सलाहकार समिति का प्रथम गठन आयोग की अधिसूचना दिनाँक 25.02.2005 के द्वारा किया गया था। वर्तमान में राज्य सलाहकार समिति में विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, उपभोक्ता, गैर–सरकारी संगठनों और विद्युत सेक्टर में शैक्षणिक तथा अनुसंधान निकायों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये 15 सदस्य नामित हैं।

आयोग के अध्यक्ष समिति के पदेन अध्यक्ष, आयोग के सदस्य एवं प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग समिति के पदेन सदस्य हैं। राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग के सचिव इस समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। आयोग के सचिव, समिति के पदेन सचिव हैं।

4.2 राज्य सलाहकार समिति की बैठकें :–

वर्ष 2019 में राज्य सलाहकार समिति की दो बैठक संपन्न हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर एवं स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंतिम ट्रूअप एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनंतिम ट्रूअप एवं विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु पुनरीक्षित वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत दर निर्धारण हेतु प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर, उपभोक्ता परिवेदना निवारण मंच की सेवाओं में सुधार तथा विद्युत उपभोक्ताओं की सेवाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। वर्ष के दौरान आयोग द्वारा जारी किए गए विनियमों के प्रारूप पर भी यथासमय समिति के सदस्यों से विचार प्राप्त किए गए।

–––000–––

खण्ड–5

वर्ष 2019 में आयोग द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों का विवरण

5.1 आयोग द्वारा विनियमों का जारी करना

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने तथा आयोग को अधिनियम में सौपें गये कृत्यों को पूरा करने के लिए आयोग को विभिन्न धाराओं से सुसंगत विनियम बनाने की शक्ति दी गई है। इस प्रकार विनियम का बनाना आयोग का एक प्रमुख कार्य है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181(3) के अनुपालन में विनियम बनाने के पूर्व प्रारूप विनियमों को प्रकाशित किया जाता है एवं सुझाव व आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती है। समस्त सुझावों, आपत्तियों पर सारगर्भित विचारोपरान्त आयोग द्वारा विनियम जारी किया जाता है।

उपरोक्तानुसार आयोग की स्थापना वर्ष 2004 से निरंतर विनियम तैयार किए गए। यह प्रक्रिया वर्ष 2019 में भी अनवरत जारी रही। दिनाँक 31.12.2019 की स्थिति में प्रचलित विनियमों की सूची निम्नानुसार है :–

(I) वर्ष 2019 के पूर्व अधिसूचित विनियमः–

क्र.	विनियम / संहिता का नाम	राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) विनियम, 2004	07.12.2004
2.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008	07.05.2008
3.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2004	18.10.2004
4.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए उत्पादन कम्पनी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाले विवरण एवं आवेदन देने की रीति) विनियम, 2004	31.05.2005
5.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण हेतु शर्तें एवं निबन्धन) विनियम, 2006	01.03.2006
6.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम–2005	14.07.2006
7.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण कार्यान्वयन हेतु मानक) विनियम, 2006	14.07.2006
8.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सूचना की तामीली व प्रकाशन) विनियम, 2006	05.01.2007

9.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपारंपरिक ऊर्जा–स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ की अवधारणा हेतु निबंधन एवं शर्तें तथा संबंधित विषय–वस्तु) विनियम, 2008	22.05.2008
10.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम, 2009	15.07.2009
11.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2009	20.07.2009
12.	सी.एस.ई.आर.सी. (टर्म्स एण्ड कॅन्डिशन फॉर डिटरमिनेशन ऑफ टैरिफ एकॉर्डिंग टू मल्टी–ईयर टैरिफ प्रिंसिपल) रेग्युलेशन, 2010	09.01.2010
13.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केंद्र के शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित विषयक) विनियम 2010	26.10.2010
14.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता और राज्यांतरिक सुगम्यता) विनियम, 2011	04.03.2011
15.	छत्तीसगढ़ विद्युत नियमाक आयोग (संयोजकता तथा राज्यांतरिक मुक्त सुगम्यता) प्रथम संशोधन–विनियम, 2012	17.12.2012
16.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन), विनियम, 2011	04.03.2011
17.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013	21.05.2013
18.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुपालन की संवीक्षा) विनियम, 2011	01.06.2011
19.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम, 2011	04.03.2011
20.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2011	28.11.2011
21.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता 2011	30.12.2011
22.	छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु) विनियम, 2012.	27.06.2012
23.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण की निबंधन एवं शर्तें तथा दरों और प्रभारों से अनुमानित राजस्व के निर्धारण हेतु पद्धति और प्रक्रिया) विनियम, 2012।	06.10.2012
24.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित विषयक) विनियम 2012	29.12.2012
25.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम 2013	15.02.2013

26.	छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2013.	14.03.2013
27.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्ते और संबंधित विषयवस्तु) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2016	21.03.2016
28.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन), विनियम, 2013	18.09.2013
29.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के छतोपरि (रूफटाप) पी.व्ही. सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उपार्जन हेतु दरों का निर्धारण) विनियम, 2013	07.10.2013
30.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन–प्रथम संशोधन) विनियम 2013	10.01.2014
31.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (प्रथम संशोधन), 2013	01.01.2014
32.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015	09.09.2015
33.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन), विनियम, 2016	01.12.2016
34.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्ते तथा संबंधित विषयवस्तु) विनियम, 2016	27.06.2016
35.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम, 2016	01.09.2016
36.	CSERC (Intra-state Availability Based Tariff and Deviation Settlement Mechanism) Regulations, 2016	07.11.2016
37.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के छतोपरि (रूफटाफ) पी.व्ही. सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उपार्जन हेतु दरों का निर्धारण) (प्रथम संशोधन) विनियम 2016	16.06.2017
38.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतो के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्ते) प्रथम संशोधन विनियम 2016	16.06.2017
39.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन) विनियम, 2016	16.06.2017

40.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (द्वितीय संशोधन), 2018	06.04.2018

(II) वर्ष 2019 में अधिसूचित विनियमः–

क्र.	विनियम/संहिता का नाम	राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत) विनियम, 2019	05.10.2019
2.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण और संबंधित विषयवस्तु की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2019.	30.12.2019

5.2 वर्ष 2019 में आयोग द्वारा जारी किये महत्वपूर्ण आदेश

1. याचिका क्रमांक 09/2018 – उक्त याचिका में पारित आदेश में पैरेलल ऑपरेशन चार्जेस (POC) से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस आदेश के पूर्व POC कैप्टिव लोड के.व्ही.ए. आधारित था एवं प्रभार ₹/के.व्ही.ए. आधारित था। इस आदेश से पैरेलल ऑपरेशन चार्जेस को कैप्टिव लोड के द्वारा की गई ऊर्जा के खपत के अनुसार किया गया एवं पैर्लर ऑपरेशन चार्जेस को ₹/के.डब्लू.एच. में निर्धारित किया गया।
2. याचिका क्रमांक 60/2018 – 250 मेगावॉट सौर ऊर्जा के क्रय हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा मेसर्स सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से किये गये अनुबंध (25 वर्ष) का अनुमोदन।
3. याचिका क्रमांक 70/2018 – छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र हेतु क्रय किये जाने वाले इनिशियल स्पेयरर्स के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत याचिका पर जारी आदेश।
4. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट लोड डिस्पेच सेन्टर एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2016–17 के वित्तीय लेखों का अंतिम Trueup एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंतिम ट्रूअप तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2019–20 हेतु प्रस्तुत टैरिफ याचिका पर टैरिफ निर्धारण हेतु अधिसूचित संगत रेगुलेशन के अधीन उक्त याचिका पर सुनवाई/विचारोपरांत उपभोक्ता द्वारा खपत की गई बिजली की बिलिंग के लिए रिटेल टैरिफ का निर्धारण।

5.3 वर्ष 2019–20 हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए जारी टैरिफ आदेश के मुख्य बिन्दु :–

➢ **औसत विद्युत प्रदाय दर : वर्ष 2019–20**

- स्वीकृत कुल राजस्व आवश्यकता –रू. 13,295 करोड़

- कुल अनुमानित विक्रय–21,912 मिलियन यूनिट
- औसत विद्युत प्रदाय दर – वर्ष 2018–19 की दर रूपये 6.20 से घटकर रूपये 6.07 प्रति यूनिट

➢ युक्तियुक्तकरण

- विद्युत दरों का युक्तियुक्तकरण
- गैर घरेलू थ्री फेज़ उपभोक्ताओं के लिए प्रचलित अनुबंधित विद्युत भार प्रथा के स्थान पर मांग आधारित विद्युत दर लागू।

➢ अनियमित बिलिंग से उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों से राहत

- लगातार छः माह तक मीटर रीडिंग आधारित बिल जारी नहीं होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को जारी किए जाने वाले एकमुश्त बिल, संबंधित संभागीय अभियंता के अनुमोदन उपरांत ही जारी किया जाएगा
- उपभोक्ताओं की जानकारी हेतु सभी विद्युत देयकों में स्लेब अनुसार विद्युत दर का उल्लेख किया जावेगा

➢ घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में 15 प्रतिशत की कमी

➢ किसानों के लिए राहत

- प्रचलित विद्युत दर में 30 पैसे प्रति यूनिट की कमीः प्रचलित दर रू. 4.70 से घट कर 4.40 प्रति यूनिट
- कृषि पंपों पर देय पॉवर फैक्टर अधिभार समाप्त
- एक वर्ष में एक से अधिक बार अस्थायी विद्युत कनेक्शन के लिए प्रक्रिया का सरलीकरणः बार–बार दस्तावेजी औपचारिकताओं से मुक्ति
- खेती की रखवाली के लिए कृषि पंप के समीप प्रचलित 40 वॉट के एक बल्ब के स्थान पर 100 वॉट के लोड का प्रावधान
- कृषि पंपों के विद्युत भार में एकपक्षीय वृद्धि से राहत– ऐसे सभी प्रकरणों में किसानों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् ही विद्युत भार में वृद्धि की जा सकेगी

➢ कृषि संबद्ध गतिविधियों के लिए राहत

- बिजली दरों में लगभग 10 प्रतिशत की कमी
- 25 एच.पी. तक के कृषि आधारित उद्योंगों की विद्युत दर में 13 प्रतिशत कमी

➢ गैर–घरेलू उपभोक्ता

- 100 यूनिट खपत वाले छोटे दुकानदारों के विद्युत दर में 8 प्रतिशत की कमी
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु पंजीकृत महिला स्वसहायता समूहों द्वारा संचालित गतिविधियों को ऊर्जा प्रभार पर 10 प्रतिशत की छूट
- वर्तमान में समाज कल्याण गतिविधियों के संचालन करने वाले संस्थाओं के लिए प्रचलित घरेलू विद्युत दर, नशामुक्ति केन्द्र पर भी लागू
- उपभोक्ताओं का सिंगल फेज़ एवं थ्री फेज़ कनेक्शन के आधार पर वर्गीकरण

- पर्यावरण हितैषी परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहित करने हेतु विद्युत चलित वाहन चार्जिंग इकाईयों का प्रचलित दर रू. 8 से घटाकर रू. 5 प्रति यूनिट
- सुदुर नक्सल प्रभावित जिलों में दिनांक 01.04.2019 के पश्चात् लगाने वाले मोबाईल टॉवर के ऊर्जा प्रभार में 50 प्रतिशत रियायत

➢ **निम्नदाब उद्योग**

- ग्रामीण उद्योगों को विशेष राहत – आटा चक्की, हॉलर, हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि प्रसंस्करण, लघु वनोपज आधारित इकाईयों के लिए प्रचलित विद्युत भार को 15 एच.पी. से बढ़ा कर 25 एच.पी. तथा विद्युत दरों में 6 प्रतिशत कमी
- प्रचलित अनुबंधित विद्युत भार प्रथा के स्थान पर मांग आधारित विद्युत दर लागू
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु पंजीकृत महिला स्वसहायता समूहों द्वारा संचालित गतिविधियों को ऊर्जा प्रभार पर 10 प्रतिशत की छूट
- विद्युत भार आधारित उपभोक्ताओं के वर्गीकरण में युक्तियुक्तकरण– प्रचलित 3 स्लैब के स्थान पर 2 स्लैब क्रमशः 0–25 एच.पी. एवं 26–150 एच.पी. – स्थायी प्रभार एवं ऊर्जा प्रभार में कमी

➢ **उच्चदाब उद्योग/स्टील**

- फिक्सड लोड चार्जेस –रू. 375 से घटाकर 365 प्रति केव्हीए
- लोड फैक्टर प्रोत्साहन में विस्तार – प्रचलित न्यूनतम 65 प्रतिशत लोड फैक्टर को घटाकर 63 प्रतिशत तथा अधिक्तम 79 को घटाकर 77 प्रतिशत।
- लोड फैक्टर की गणना हेतु प्रतिमाह 30 घंटा ''पॉवर ऑफ ऑवर्स'' निर्धारित
- केवल रोलिंग मिलों के लोड फैक्टर की प्रचलित अधिकतम सीमा 25 से बढ़ाकर 35 प्रतिशत

5.4 न्यायिक कार्य : याचिकाओं का निराकरण

इस वर्ष अर्थात 2019 के दौरान आयोग ने कुल 81 मामले पंजीबद्ध किये, जिसमें से आयोग ने स्वयं संज्ञान लेकर 17 मामले पंजीबद्ध किये हैं तथा विभिन्न पक्षकारों ने विभिन्न मामलों के कुल 64 प्रकरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये। उक्त प्रकरणों में से 32 का निपटारा आयोग द्वारा वर्ष 2019 में किया गया। 01.01.2019 को, पूर्व वर्षों के 50 प्रकरण लंबित थे, जिसमें से 30 प्रकरणों का भी निराकरण वर्ष 2019 में किया गया। इस तरह वर्ष 2019 में कुल 62 प्रकरणों का निराकरण किया गया हैं।

उपरोक्त विवरण निम्नांकित सारणी द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।

याचिकाओं का निराकरण			
दिनांक 01.01.2019 की स्थिति में विचाराधीन	वर्ष 2019 में पंजीकृत	वर्ष 2019 में कुल निराकृत	दिनांक 01.01.2020 की स्थिति में विचाराधीन
50	81	62	69

5.5 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापनाः–

आयोग के निर्देशानुसार राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा राज्य में, रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम स्थापित है,

वर्ष 2019 में उपभोक्ता शिकायतों के 80 प्रकरण रायपुर, 77 प्रकरण बिलासपुर फोरम एवं 20 प्रकरण जगदलपुर फोरम में दर्ज किये गये तथा 81 प्रकरण रायपुर, 76 प्रकरण बिलासपुर एवं 15 प्रकरण जगदलपुर फोरम में निराकृत किये गये, जिसमें पूर्व में पंजीबद्ध परन्तु इस वर्ष विचाराधीन प्रकरण भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भिलाई एवं जिदंल औद्योगिक पार्क में कार्यरत् वितरण अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा एक–एक शिकायत निवारण फोरम स्थापित किया गया है।

इसके अलावा आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 42 (6) के प्रावधान के अनुसार विद्युत लोकपाल की नियुक्ति भी की है। फोरम के आदेश से संतुष्ट न होने पर विद्युत उपभोक्ता द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इस वर्ष विद्युत लोकपाल कार्यालय में प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या 22 रही। वर्ष 2019 में कुल 18 प्रकरणों का निराकरण विद्युत लोकपाल द्वारा किया गया जिसमें पूर्व में पंजीबद्ध परन्तु इस वर्ष विचाराधीन 5 प्रकरण सम्मिलित है। दिनांक 01/01/2020 की स्थिति में 09 प्रकरण विचाराधीन है।

5.6 विद्युत उपभोक्ताओं में जागरूकता के प्रयासः–

विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदाय करने हेतु आयोग द्वारा मानक विनियम तैयार किए गये हैं। जिनमें, निर्धारित समयावधि में सेवा में कमी पाये जाने पर उपभाक्ताओं को क्षतिपूर्ति राशि देने का प्रावधान रखा गया है। तत्संबंध में एक विज्ञापन राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आयोग के निर्देशानुसार हिन्दी में तैयार कराया गया है, जिसमें विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालयों जैसे वितरण केन्द्र, उपसंभाग, संभाग वृत्त कार्यालय आदि पर लगाया गया है।

5.7 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में वर्ष 2019 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित प्राप्त आवेदनों की स्थिति–

1	गत वर्ष के लंबित आवेदनों की संख्या	**01**
2	वर्ष 2019 में प्राप्त आवेदनों की संख्या	**28**
	योग	**29**
3	स्वीकृत एवं निराकृत आवेदनों की संख्या	**27**
4	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	**01**
5	शेष आवेदनों की संख्या	**01**

परिशिष्ट–1

स.क्र.	स्वीकृत पदों का नाम	स्वीकृत पद संख्या	वेतन मैट्रिक्स
	आयोग सचिवालय		
1.	सचिव	1	लेवल–17
2.	उप सचिव	1	लेवल–14
3.	उप निदेशक (उपभोक्ता पक्ष समर्थन प्रकोष्ठ)	1	लेवल–13
4.	सहायक संचालक (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली)	1	लेवल–12
5.	अनुभाग अधिकारी	1	लेवल–10
	तकनीकी विभाग		
6.	निदेशक	1	लेवल–17
7.	संयुक्त निदेशक	1	लेवल–14
8.	उप निदेशक	2	लेवल–13
9.	सहायक संचालक	2	लेवल–12
	टैरिफ विभाग		
10.	निदेशक	1	लेवल–17
11.	संयुक्त निदेशक	1	लेवल–14
12.	उप निदेशक	1	लेवल–13
13.	सहायक संचालक	1	लेवल–12
	वित्त विभाग		
14.	अर्थप्रबंध सलाहकार	1	लेवल–15
15.	वित्तीय विश्लेषक	1	लेवल–14
	विधि विभाग		
16.	निदेशक	1	लेवल–17
17.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	लेवल–14
18.	विधि अधिकारी	1	लेवल–13
	प्रशासकीय विभाग		
19.	लेखाधिकारी	1	लेवल–12
20.	निज सचिव	2	लेवल–10
21.	निज सहायक	6	लेवल–9
22.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1	लेवल–9
23.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	1	लेवल–8
24.	स्टेनोग्रफर	5	लेवल–7
25.	कम्प्यूटर सहायक	3	लेवल–6
26.	सहायक ग्रेड–2	4	लेवल–6
27.	स्टेनो टायपिस्ट	4	लेवल–4
28.	सहायक ग्रेड–3	5	लेवल–4
29.	वाहन चालक	4	लेवल–4
30.	भृत्य	11	लेवल–1
31	माली	1	लेवल–1
	योग	**68**	